



# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, उज्जैन-456010 (म.प्र.)

## ई-निविदा प्रपत्र

इन्सुलेटेड टैंकर द्वारा दुग्ध परिवहन हेतु ई-निविदा

टेंडर प्रपत्र क्रमांक / उ.दु.स. / सं.सं. / 2026 / 499

दिनांक: 24.02.2026

ई-निविदा अपलोड की अन्तिम दिनांक : 17.03.2026

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड, उज्जैन- 456010 (म.प्र.)

फोन नं. : (0734) 2527071,

E-mail : [plantoperations.uds@sanchidairy.com](mailto:plantoperations.uds@sanchidairy.com)

निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.1,000.00 (रूपये एक हजार मात्र)



# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

## UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail : [plantoperations.uds@sanchidairy.com](mailto:plantoperations.uds@sanchidairy.com)

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2026 /

उज्जैन, दिनांक :

### ई-निविदा सूचना

उज्जैन दुग्ध संघ में दुग्ध परिवहन हेतु दुग्ध संयंत्र/दुग्ध शीतकेन्द्रों से डेयरी संयंत्र उज्जैन या देश/प्रदेश के अन्य दुग्ध संघ/निजी डेयरी संयंत्रों तक 19000 किग्रा./25000 किग्रा./30000 किग्रा. अथवा इससे अधिक क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। इस हेतु उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर से दुग्ध परिवहन करने हेतु ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। जो कि दिनांक 25.02.2026 से ई-टेंडर की वेबसाइट [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित अमानत राशि सहित अपलोड की गई निविदा दिनांक 18.03.2026 को गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी। ई-निविदा से सम्बन्धित विवरण एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की वेबसाइट पर [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) या उज्जैन दुग्ध संघ की वेब साइट [www.sanchiujjain.com](http://www.sanchiujjain.com) में केवल अवलोकन किया जा सकता है।

किसी भी निविदा को सकारण बताए स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ को होगा।

यदि निविदा में कोई सुधार/संशोधन किया जाता है तो यह केवल उपर दी गई एमपीसीडीएफ, भोपाल की वेबसाइट [www.sanchidairy.com](http://www.sanchidairy.com) पर एवं [www.mptenders.gov.in](http://www.mptenders.gov.in) प्रकाशित होगा। कोई अन्य माध्यम से प्रकाशित/सूचित नहीं किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी



# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

## UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail : plantoperations.uds@sanchidairy.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2026 / 499

उज्जैन, दिनांक : 24.02.2026

	<b>निविदा प्रपत्र</b> निविदा कार्य – उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित के दुग्ध संयंत्रों एवं शीत केन्द्रों, बीएमसी केन्द्रों से म.प्र. राज्य में एवं राज्य के बाहर दुग्ध परिवहन हेतु कार्य।	
	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	रु. 1,000 /- (अक्षरी- रुपये एक हजार मात्र)
1.	ई-निविदा प्रपत्र क्रय करने की तिथि एवं समय	दिनांक: 25.02.2026 समय 02.00 PM (टेन्डर ई पोर्टल के माध्यम से)
2.	ई-निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 17.03.2025 समय 03:00 बजे तक
3.	ई-निविदा प्रपत्र भरने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक: 17.03.2026 समय 02.00 PM (टेन्डर ई पोर्टल के माध्यम से)
4.	तकनीकी ई-निविदा प्रपत्र खोलने का दिनांक एवं समय	दिनांक: 18.03.2026 दोपहर 3.00 बजे (टेन्डर ई पोर्टल के माध्यम से)
5.	ई-निविदा खुलने का स्थान	कार्यालय, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010
6.	पत्र व्यवहार हेतु पता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन (म.प्र.) 456010
7.	अमानत राशि	रु.3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र) (टेन्डर ई पोर्टल के माध्यम से)
	<b>संलग्न प्रपत्र :-</b>	
8.	01- परिशिष्ट-(1)	कार्य विवरण ।
	02- परिशिष्ट-(2)	सामान्य नियम एवं शर्तें ।
	03- परिशिष्ट-(3)	अनुबंधित परिवहनकर्ता हेतु कार्य संचालन की आवश्यक शर्तें ।
	04- परिशिष्ट-(4)	तकनीकी निविदा प्रपत्र (आवश्यक रूप से प्रत्येक निविदाकर्ता को भरना है ।)
	05- परिशिष्ट-(5)	वित्तीय निविदा प्रपत्र 19,000 कि.ग्रा. क्षमता हेतु ।
	06- परिशिष्ट-(6)	वित्तीय निविदा प्रपत्र 25,000 कि.ग्रा. क्षमता हेतु ।
	07- परिशिष्ट-(7)	वित्तीय निविदा प्रपत्र 30,000 कि.ग्रा. क्षमता हेतु ।
	08- परिशिष्ट-(8)	शपथ पत्र प्रारूप



# उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

## UJJAIN SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT

Maksi Road P.B. No 106, UJJAIN - 456001, Madhya Pradesh

Phone : (0734) 2527061, 2527068, 2527066 Fax : 0734-2527063

E-mail : plantoperations.uds@sanchidairy.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / उत्पा. / 2026 / 499

उज्जैन, दिनांक : 24.02.2026

### परिशिष्ट—(1)

### कार्य का विवरण

उज्जैन दुग्ध संघ के दुग्ध शीतकेन्द्रों/बी.एम.सी. मार्गों से दुग्ध परिवहन हेतु डेयरी संयंत्र उज्जैन या देश/प्रदेश के अन्य दुग्ध संघ/निजी डेयरी संयंत्रों तक 19000 किग्रा. (लगभग) या 25000 किग्रा. (लगभग) या 30000 किग्रा. (लगभग) अथवा इससे अधिक क्षमता के इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर्स की आवश्यकता है। इस हेतु उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा इन्सुलेटेड रोड मिल्क टैंकर से दुग्ध परिवहन करने हेतु किराये पर टैंकर अनुबन्धित करने के इच्छुक परिवहनकर्ताओं से 03 वर्ष की अवधि के लिये आनलाइन निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा स्वीकृत होने पर वाहन के अनुरक्षण, डीजल, कर्मचारियों पर व्यय एवं अन्य सभी प्रकार के खर्चे परिवहनकर्ता को करने होंगे। अतः निविदाकारों द्वारा टैंकर संचालन में लगाने वाले सभी व्ययों को समावेश कर (टोल टैक्स छोड़कर) रोड मिल्क टैंकर्स की क्षमता अनुरूप किराये पर लगाने हेतु केवल प्रति किलोमीटर चालन की ही दरें परिशिष्ट 5 या 6 या 7 अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत की जाए।

#### (ब) रोडमिल्क टैंकर आवश्यकता संबंधी विवरण

क्रमांक	टैंकर की क्षमता	कार्य नियोजन	टैंकरों की अनुमानित मांग (संख्या)
1	19000 कि.ग्रा. (लगभग)	दुग्ध शीतकेन्द्र अथवा अन्य संस्थाओं/मिनी डेयरियों से डेयरी संयंत्र उज्जैन, प्रदेश के अन्य दुग्ध संघ के डेयरी संयंत्रों तक या प्रदेश के अन्य निजी दुग्ध संयंत्रों तक	10
2	25000 कि.ग्रा. अथवा इससे अधिक क्षमता	दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र उज्जैन या देश/प्रदेश के अन्य दुग्ध संस्थानों के डेयरी संयंत्रों तक	10
3	30000 कि.ग्रा. अथवा इससे अधिक क्षमता	दुग्ध शीतकेन्द्र से डेयरी संयंत्र उज्जैन या देश/प्रदेश के अन्य दुग्ध संस्थानों के डेयरी संयंत्रों तक	10

नोट :- मांग के अनुरूप टैंकर्स की संख्या कम या अधिक हो सकती है।

## परिशिष्ट-(2)

### दुग्ध परिवहन हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें।

1. निविदाकार को निर्धारित निविदा प्रपत्र में निविदा आनलाईन अपलोड करना होगी इस हेतु निविदा प्रपत्र रु 1000/- (रु. एक हजार मात्र) ऑनलाइन टेन्डर पोर्टल पर भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
2. संघ को अच्छी स्थिति के नये टैंकरों की आवश्यकता है। माह जनवरी 2022 से पुराने वाहनों हेतु प्रस्तुत निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।
3. ई-निविदा दो निविदा पद्धति (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) के आधार पर आमंत्रित की जा रही है। निविदा निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगी।
  - (क) निविदा हेतु आवश्यक प्रतिभूति राशि रूपये 3,00,000/- टेन्डर पोर्टल पर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो कि निविदा कार्य के लिये पंजीकृत हो को प्रतिभूति राशि जमा करने की छूट रहेगी। परन्तु सुरक्षा निधि में कोई छूट नहीं रहेगी। सुरक्षा निधि राशि रु. 3 लाख प्रति टैंकर है। यह राशि समस्त निविदाकारों के लेखों सुरक्षा निधि के रूप में समायोजित की जायेगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
  - (ख) निविदा संबंधित तकनीकी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ यथा परिवहन विभाग (आर.टी.ओ.) का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) एवं अन्य वांछित दस्तावेज तकनीकी निविदा में अपलोड किया जाना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा की स्थिति में तकनीकी निविदा अमान्य की जायेगी। तकनीकी निविदा परिशिष्ट-4 टेन्डर पोर्टल में आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
  - (ग) 19000 कि.ग्रा. क्षमता तथा 25000 कि.ग्रा. क्षमता तथा 30000 कि.ग्रा. क्षमता के टैंकर के लिये क्रमशः परिशिष्ट 5, परिशिष्ट 6 तथा परिशिष्ट 7 अनुसार पृथक पृथक दर प्रस्तुतीकरण वित्तीय निविदा ऑनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है।
4. निविदा 19000 कि.ग्रा. तथा 25000 कि.ग्रा. तथा 30000 कि.ग्रा. क्षमता टैंकरों के लिये जारी की गयी है अतः 19000 कि.ग्रा. तथा 25000 कि.ग्रा. तथा 30000 कि.ग्रा. क्षमता के टैंकरों की पृथक-पृथक न्यूनतम दरें नियमानुसार निर्धारित की जायेगीं। इससे उपर की क्षमता पर प्रोरेटा देय होगा।
5. निविदाकार के स्वयं या परिवार (पति, पत्नी या आश्रित सन्तान) के नाम से कम से कम 05 टैंकर वाहन 2022 या पश्चात के मेक होना अनिवार्य है अर्थात निविदाकर्ता के नाम या परिवार के नाम से ही टैंकर का पंजीयन हो अन्य के नाम का टैंकर अपात्र रहेगा। सफल निविदाकार के दस्तावेजो को मूल दस्तावेज से परीक्षण किया जायेगा। निविदाकर्ता के परिवार के सदस्य के नाम से टैंकर होने की स्थिति में परिवार की समग्र आई.डी. या शपथ पत्र तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6. एमपीसीडीएफ भोपाल के अधीन दुग्ध संघों भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर /बुन्देलखण्ड (सागर) या किसी भी डेयरी संस्थान में वर्तमान में अनुबन्धित टैंकर निविदा में मान्य/स्वीकार नहीं किया जायेगा। जिसका शपथ पत्र देना होगा (परिशिष्ट-8 अनुसार)।
7. उज्जैन दुग्ध संघ या एमपीसीडीएफ भोपाल एवं अन्य दुग्ध संघ के पूर्व में प्रतिबंधित एवं ब्लैक लिस्टेड परिवहन ठेकेदार निविदा भरने हेतु पात्र नहीं होंगे। जिसका शपथ पत्र देना होगा (परिशिष्ट-8 अनुसार)।
8. संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि के पूर्व कार्य से पृथक किया गया है, तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होंगे।

9. सफल निविदाकारों को रू. 3.00 लाख प्रति टैंकर सुरक्षा निधि दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य रहेगा। सफल निविदाकार की अमानत राशि का समायोजन निविदाकार के लेखों में सुरक्षानिधि के रूप में किया जावेगा अन्यथा की स्थिति में पूर्ण राशि दुग्ध संघ में टैंकर संचालन के पूर्व जमा करनी होगी, सुरक्षा निधि जो कुल रू. 9,00,000/- शब्दों में रू. नौ लाख मात्र (रू. तीन लाख प्रति टैंकर) है। इस जमा राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। शेष असफल निविदाकारों की प्रतिभूति राशि टेण्डर पोर्टल से स्वतः ही वापस हो जायेगी।
10. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने की स्थिति में तकनीकी निविदा पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर अवश्य होने चाहिए या किसी भागीदार की अनुपस्थिति में उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए, जिसके पास ऐसा करने के लिए मुख्तयारनामा है। इस प्रकार उक्त व्यक्ति भारतीय भागीदार अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए। साथ में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड पत्र संलग्न करना होगा।
11. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
12. निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकार के साथ किये गये अनुबंध की अवधि प्रथमतः 03 वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि में 02 वर्ष की वृद्धि (1-1 वर्ष करके) करने के संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे।
13. दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी के परिवार जैसे पति, पत्नी, आश्रित, पुत्र, पुत्री, माता, पिता को निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
14. न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा संघ द्वारा वांछित क्षमता एवं संख्या में टैंकर्स उपलब्ध कराने की स्थिति में भी प्राप्त न्यूनतम दर को आधार मानते हुये नियमानुसार अन्य निविदाकारों या परिवहन कर्ताओं से न्यूनतम दर पर सहमति प्राप्त कर टैंकर्स को परिवहन काय्र आवंटित किया जायेगा। न्यूनतम दर निविदाकार की भविष्य में कोई भी आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी।
15. निविदा स्वीकृति करने के तत्काल पश्चात् माँग अनुसार 48 घण्टे में टैंकर संचालन अनिवार्य रहेगा अन्यथा की स्थिति में प्रतिभूति राशि राजसात/निविदाकार को ब्लैकलिस्ट कर दी जावेगी।
16. निविदा में प्रस्तुत जानकारी किसी भी समय गलत पायी जाने पर सम्बन्धित की निविदा निरस्त की जायेगी।
17. सभी निविदायें गुण दोष के आधार पर या कोई भी निविदा बिना सकारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
18. निविदाकारों को विगत 3 वर्षों की (2022-23, 23-24, 24-25) आयकर विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
19. निविदाकारों के पास न्यूनतम 3 वर्षों का दुग्ध परिवहन कार्य का अनुभव होना अनिवार्य होगा। इस हेतु कार्यदेश प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी**

### परिशिष्ट-(3)

#### सफल निविदाकार/परिवहनकर्ता हेतु आवश्यक शर्तें :-

1. निविदाकार अपने वाहन के अनुरक्षण, डीजल, ड्रायवर व अन्य सभी खर्चों के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा, टोल टैक्स की रसीद प्रस्तुत करने पर वास्तविक भुगतान किया जायेगा, इस हेतु सामान्य परिस्थिति में किसी भी प्रकार का अग्रिम इत्यादि देय नहीं होगा।
2. परिवहनकर्ता को टैंकर परिवहन हेतु आवश्यक स्टॉफ मय अधिकृत लाइसेंस के साथ रखना होगा तथा संबंधित स्टॉफ का पुलिस सत्यापन तथा लाइसेंस की प्रति कार्यालय में जमा करनी होगी।
3. दुग्ध संयंत्रों से समस्त देश में प्रदाय किये जा रहे डेयरी संयंत्रों/शीत केंद्रों/बी.एम.सी समितियों की दूरियां सत्यापित की गई हैं, अथवा की जावेगीं जिसके आधार पर ही परिवहन देयकों का कि.मी अनुसार भुगतान किया जायेगा।
4. परिवहनकर्ता के टैंकर में किसी प्रकार का गुप्त चैम्बर या दूध चोरी उद्देश्य के लिये अन्य व्यवस्था प्राप्त होने की स्थिति में तत्काल टैंकर को कानूनी कार्यवाही हेतु पुलिस/न्यायालय को सूचित किया जायेगा तथा परिवहनकर्ता एवं टैंकर को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा तथा अमानत राशि राजसात कर ली जायेगी।
5. परिवहनकर्ता द्वारा प्रदायित टैंकर में वाल्व बाक्स होना अनिवार्य है साथ ही टैंकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर कवर ढक्कन संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा जिसमें कोई भी कमी होने पर संबंधित टैंकर को तत्काल कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
6. परिवहनकर्ता के प्रत्येक टैंकर में दुग्ध संघ द्वारा परिवहनकर्ता के व्यय पर डिजिटल लॉक एवं जी.पी.एस.सिस्टम सेन्सर के साथ लगाया जावेगा। इससे टैंकर की स्थिति इंटरनेट के माध्यम से देखी जा सकेगी तथा इसे रिकार्ड किया जा सकेगा। यदि जी.पी.एस. सिस्टम/सेन्सर में परिवहनकर्ता द्वारा कोई छेड़ छाड़ की जाती है तो राशि रु. 10,000/- (रूपये दस हजार) दण्ड के रूप में वसूली की जायेगी। एवं दुबारा ऐसा करने पर अनुबंध समाप्त कर सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी जिसके लिये परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा। डिजिटल लॉक एवं जीपीएस सिस्टम का प्रतिमाह निर्धारित व्यय देयक से कटौत किया जायेगा।
7. खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत निविदाकार का दूध परिवहन का पंजीयन अनिवार्य होगा।
8. दुग्ध संयंत्रों/शीतकेंद्रों/बी.एम.सी समिति से दुग्ध टैंकर को भरकर उसका सैंपल परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि के सामने लेकर तथा तौल कर, डिजिटल लॉक लगाकर एवं दुग्ध के सैंपल का परीक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तदनुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा जिस पर सम्बंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक/क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे गेट पास दिया जावेगा।

परिवहनकर्ता के स्टाफ का यह कर्तव्य होगा कि वह दूध भरे टैंकर को लेकर सम्पूर्ण सामग्री उसे निर्धारित स्थान पर उसी हालत में पहुँचाये एवं उसकी दूध मात्रा, फ़ैट एवं एस,एन,एफ में कोई अन्तर न आवे। दूध मात्रा, फ़ैट एवं एस,एन,एफ में अंतर प्राप्त होने पर इसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता से की जावेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जावेगा। नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितताओं की दशा में संबंधित नंबर के टैंकर तथा परिवहनकर्ता दोनों को ब्लैक लिस्ट किया जावेगा, उसे प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं दिया जा सकेगा। जिसकी सूचना अन्य दुग्ध संघों को तत्काल दे दी जावेगी।

9. यदि टैंकर पर लगी सील/लॉक/फैब्रिकेशन में कोई टेम्परिंग पाई जाती है, तथा दूध की मात्रा, फ़ैट व एसएनएफ में कमी आने पर कमी की वसूली तथा राशि रू. 10,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। यदि टेम्परिंग पायी जाती है परन्तु दूध की मात्रा फ़ैट एवं एस.एन.एफ में अंतर न आने पर भी राशि रू 10,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा तथा इस कृत्य की प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज की जावेगी।
10. परिवहन निर्देशों में दूरी अनुसार अधिकतम परिवहन समय सीमा निर्धारित की गई है उससे अधिक समय में टैंकर लाने पर जहाँ राशि रू. 5000/- अर्थदण्ड लगाया जावेगा वही गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जाएगी।
11. दुग्ध टैंकरों के सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा दुग्ध टैंक के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लीकेज, पेंटिंग, लाकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना परिवहनकर्ता को आवश्यक होगा। टैंकर अनलॉडिंग पश्चात साफ- सफाई नहीं करने की स्थिति में प्रति ट्रिप प्रति टैंकर रू. 500/- का अर्थदण्ड किया जायेगा।
12. अनुबन्ध समाप्त होने पर साँची ब्रांडिंग की पेंटिंग एवं सूचना परिवहनकर्ता को स्वयं के व्यय पर मिटानी होगी, तत्पश्चात सुरक्षा निधि वापस की जावेगी।
13. परिवहन के दौरान टैंकर क्षतिग्रस्त होने पर या खराब होने पर, ओवरलॉडिंग या अन्य कारणों से अनावश्यक विलम्बित होने के कारण यदि दूध की गुणवत्ता या मात्रा में कमी परिलक्षित होती है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व परिवहनकर्ता का होगा, एवं समस्त क्षति का कटौती परिवहनकर्ता के देयक से किया जावेगा।
14. टैंकर फेल होने पर अन्य टैंकर की व्यवस्था कर दुग्ध का परिवहन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा तथा इस परिवर्तन में हुए फ़ैट, एस,एन,एफ एवं दूध मात्रा आदि हानि की वसूली की जाएगी, इस स्थिति में परिवहनकर्ता को संघ कार्यालय से परिवर्तन करने की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
15. यदि परिवहन के दौरान टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है एवं जिसके परिणाम स्वरूप दूध का नुकसान होता है तो उक्त हानि की सम्पूर्ण राशि की वसूली प्रथमतः परिवहनकर्ता के देयक से की जायेगी।
16. टैंकर लॉडिंग से टेस्टिंग तक टैंकर चालक की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी अन्यथा यह माना जायेगा की टैंकर उपलब्ध नहीं है तदनुसार रू. 500/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।
17. परिवहनकर्ता स्टाफ को दुग्ध संयंत्र परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टैंकर एवं स्टाफ को दुग्ध संयंत्र परिसर में निर्धारित स्थान पर टैंकर खाली होने तक ही रुकने की अनुमति होगी तथा टैंकर खाली होने पर तत्काल टैंकर को अपने निर्धारित स्थान हेतु रवाना होना पड़ेगा, अन्यथा प्रत्येक एक घंटे हॉल्टिंग का रूपये 1,000/- दंड लगेगा जिसका मिलान सिक्वोरिटी गेट के रजिस्टर एवं जीपीएस से किया जायेगा।
18. टैंकर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का परिवहन वर्जित होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नहीं होगा। अति आवश्यक होने पर मेन रोड़ पर ही टैंकर खड़ा किया जावेगा वह भी अधिकतम 15 मिनट हेतु खड़ा हो सकेगा।
19. टैंकरों को क्षमता के अनुसार R.T.O से सत्यापित होना आवश्यक है। दुग्ध टैंक बदलने हेतु उसकी पूर्व अनुमति कार्यालय से लेनी होगी। किसी भी दशा में पूर्व अनुमति के बिना टैंकर का बैरल बदला नहीं जाएगा। यदि बिना पूर्व अनुमति के परिवहनकर्ता द्वारा बैरल बदला जाता है तो ऐसे परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उसे कार्य से पृथक कर, अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। जिसका संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।

20. परिवहन कार्य संघ द्वारा निर्धारित किए गए नियत मार्ग से ही करना होगा। अन्य मार्ग से टैंकर का आना-जाना, पाये जाने पर यह माना जावेगा कि टैंकर को दूध चोरी के उद्देश्य से मार्ग बदलकर परिवहन किया गया है अतः तदानुसार अर्थदण्ड राशि रु. 10,000/- किया जायेगा।
21. संयंत्र परिसर में टैंकर द्वारा संघ के वाहनों में अथवा संघ की संपत्ति की क्षति की जाती है तो उसका आकलन कर अर्थदण्ड सहित पूर्ण कटौती किया जायेगा।
22. संघ कार्यालय द्वारा टैंकरों की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टॉफ द्वारा पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा।
23. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर नियुक्त कर्मचारियों की केवल भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार परिवहनकर्ता को संबंधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर नियमित अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व परिवहनकर्ता का होगा। परिवहनकर्ता को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
24. परिवहनकर्ता को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा।
25. दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर दुग्ध संघ के प्रारूप अनुसार सूचना लिखवाना आवश्यक होगा, नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौती परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
26. समस्त वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा करना आवश्यक होगी।
27. नियमानुसार परिवहनकर्ता के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौती गणनानुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौती न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।
28. दुग्ध संघ की नाम मात्र की सदस्यता रूपये 100/- जमाकर सदस्यता प्राप्त करनी होगी, किन्तु मतदान इत्यादि की पात्रता नहीं होगी।
29. स्वीकृत निविदाकार(परिवहनकर्ता) को उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के साथ रूपये 1000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
30. पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एवं म.प्र. शासन द्वारा प्रति दिन डीजल दर निर्धारण की दशा में माह के पहले दिन (01 तारीख) की डीजल दर को पूरे माह की डीजल दर मानी जाकर, डीजल की दरों में वृद्धि या कमी होने पर परिवहन दरों में समानुपातिक वृद्धि अथवा कमी की जा सकेगी। इसकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :-  
 19000 कि.ग्रा अथवा अधिक क्षमता----- 4.5 km/lit  
 25000 कि.ग्रा अथवा अधिक क्षमता----- 4.0 km/lit  
 30000 कि.ग्रा अथवा अधिक क्षमता----- 3.5 km/lit  
 निविदा अपलोड करने की अन्तिम दिनांक को डीजल की दर, भविष्य में दर परिवहन के लिये आधार रहेगी।
31. 19000/25000/30000 कि.ग्रा से अधिक क्षमता वाले टैंकरों की आनुपातिक दर, 19000/25000/30000 कि.ग्रा हेतु प्राप्त दर के प्रो-रेटा आधार पर निकाली जाएगी। टैंकरों की क्षमता आर.टी.ओ द्वारा रोड पर संचालन हेतु निर्धारित की गई है।
32. परिवहनकर्ता के साथ किये गये अनुबंध की अवधि 03 वर्ष की होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आपसी सहमति से अनुबंध की अवधि में एक-एक वर्ष कर कुल 02 वर्ष की वृद्धि की जा सकेगी जिसके संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ के पास सुरक्षित रहेंगे।
33. वाहन ठेकेदार को अपने वाहन पर साँची दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद की पेंटिंग संघ द्वारा दिये गये नमूने अनुसार स्वयं के व्यय पर कराना होगी, अन्यथा संघ द्वारा पेंटिंग कार्य कराने पर व्यय हुई राशि परिवहनकर्ता के देयक से कटौती की जावेगी।

34. परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दुग्ध परिवहन मार्ग पर दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक **दण्ड रूपये 1,00,000/-** किया जावेगा। साथ ही वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वाहन संचालन कार्य से हटाना अनिवार्य होगा। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उपरोक्त दण्ड बढ़ाया भी जा सकेगा एवं वाहन चालक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जावेगी तथा टैंकर एवं परिवहनकर्ता को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
35. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जी.पी.एस. लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रू. 20,000/- का आर्थिक दंड किया जावेगा। किसी विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
36. देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
37. परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों अथवा अन्य किसी कारण से हुये मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह संबंधित शासकीय अधिकारी/स्थानीय थाने से उसका प्रमाण पत्र/पंचनामा प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करें तथा महाप्रबंधक (सं.सं.) के निर्देशानुसार दूध को समय पर डेयरी प्लांट में पहुँचाये अथवा प्राप्तकर्ता डेरी तक पहुँचाये, यह तात्कालिक स्थिति पर निर्भर करेगा।
38. यह कि अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने पर दुग्ध संघ को हुई हानि की राशि प्रथमतः उसके देयकों से उसके बाद सुरक्षानिधि से एवं शेष बचने पर वसूली की कार्यवाही अनुबंध अनुसार की जावेगी।
39. यह कि अनुबंध की अवधि के दौरान निविदा की शर्त के तहत अनुबंध की शर्तों में (वित्तीय मामले के अतिरिक्त) परिवर्तन/संशोधन किये जाने का संपूर्ण अधिकार आपसी सहमति से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।
40. यह कि टैंकरों की माँग बढ़ाई जा सकती है ऐसी स्थिति में टैंकर मांगे जाने पर 48 घंटे के अंदर टैंकर प्रदाय करना अनिवार्य होगा। टैंकर प्रदाय न करने की स्थिति में संघ द्वारा अन्य व्यवस्था करने पर होने वाले समस्त व्यय को द्वितीय पक्ष से वसूल किये जावेगे।
41. परिवहनकर्ता को एक कम्प्रीहेंसिव बीमा पालिसी वाहनों हेतु लेना अनिवार्य होगी। परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा की आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, ड्यूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाइसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल ऍक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी ना कि दुग्ध संघ की।
42. टैंकर में Fastag अनिवार्य है। Fastag Report में Toll Payment का ही भुगतान किया जावेगा अन्य कोई भुगतान देय नहीं होगा। मार्ग पर Fastag lane न होने पर अपवाद स्वरूप परिवहन देयकों के साथ टोल टैक्स की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
43. परिवहनकर्ता को प्रत्येक माह की 05 तारीख एवं 20 तारीख तक विगत अवधि का देयक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिसका भुगतान 15 दिवस में किया जायेगा।
44. दुग्ध परिवहन से संबंधित किसी भी विवादित प्रकरण के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा, जो परिवहनकर्ता को मान्य करने बाध्य होंगे।
45. अनुबंधकर्ता से संबंधित किसी भी विवादित प्रकरण के निराकरण हेतु प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ भोपाल को प्रस्तुत किया जाएगा निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
46. यह कि किसी भी विवाद हेतु न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा।

**मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन**

## परिशिष्ट –(4)

### तकनीकी निविदा (केवल आनलाईन अपलोड करें)

1. निविदाकार का नाम – .....
2. पूरा पता – .....
3. फोन नं/ मोबाईल नं. – .....
4. ई-मेल आईडी – .....
5. अमानत राशि टेन्डर पोर्टल में जमा की की राशि– .....  
(छाया प्रति अपलोड करें)
6. वाहन की जानकारी (न्यूनतम 05 टैंकर की) – .....  
(पंजीयन आर.सी. की छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	टैंकर मालिक का नाम	निविदाकार से सम्बन्ध	टैंकर क्रमांक	मेक	मॉडल	क्षमता (आर.टी.ओ. अनुसार)
01						
02						
03						

7. आयकर पेन का विवरण (छायाप्रति संलग्न करें)– .....
8. किसी दुग्ध संघ या संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया है इस सम्बन्ध में शपथ पत्र रु. 100/- (नोटरी द्वारा सत्यापित) (परिशिष्ट-7 अनुसार) – .....
9. जी.एस.टी. नं. (छायाप्रति संलग्न करें) – .....
10. FSSAI पंजीयन क्रमांक (छायाप्रति संलग्न करें) – .....
11. विगत 3 वर्षों की आयकर विवरणी – .....
12. विगत 3 वर्षों के कार्यादेश – .....

निविदा फार्म में वर्णित समस्त नियम व शर्तें पूर्णतः मान्य हैं। मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।

स्थान .....

दिनांक .....

हस्ताक्षर निविदाकार

नाम :-

पता :-

मोबाइल नं. :-

## परिशिष्ट –(5)

(19000 कि.ग्रा. टैंकर हेतु)  
वित्तीय निविदा (आनलाईन अपलोड करें)

क्र.	टैंकर की क्षमता		एस. एम. जी. सप्लाय हेतु दर प्रति किलोमीटर (समस्त कर सहित)	एन. एम. जी. सप्लाय हेतु दर प्रति किलोमीटर (समस्त कर सहित)
01	19000 कि.ग्रा. क्षमता हेतु	अंकों में  शब्दों में	रु. .... ..... रु. .... .....	रु. .... ..... रु. .... .....

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम : .....

पता : .....

मो.न.: .....

## परिशिष्ट –(6)

(25,000 कि.ग्रा. टैंकर हेतु)  
वित्तीय निविदा (आनलाईन अपलोड करें)

क्र.	टैंकर की क्षमता		एसं. एम. जी. सप्लाय हेतु दर प्रति किलोमीटर (समस्त कर सहित)	एन. एम. जी. सप्लाय हेतु दर प्रति किलोमीटर (समस्त कर सहित)
01	25,000 कि.ग्रा. क्षमता हेतु	अंकों में  शब्दों में	रु ..... ..... रु ..... .....	रु ..... ..... रु ..... .....

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम : .....

पता : .....

मो.न.: .....

## परिशिष्ट –(7)

(30,000 कि.ग्रा. टैंकर हेतु)  
वित्तीय निविदा (आनलाईन अपलोड करें)

क्र.	टैंकर की क्षमता		एसं. एम. जी. सप्लाय हेतु दर प्रति किलोमीटर (समस्त कर सहित)	एन. एम. जी. सप्लाय हेतु दर प्रति किलोमीटर (समस्त कर सहित)
01	30,000 कि.ग्रा. क्षमता हेतु	अंकों में  शब्दों में	रु ..... ..... रु ..... .....	रु ..... ..... रु ..... .....

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम : .....  
पता : .....  
मो.न.: .....

## परिशिष्ट –(8)

### शपथ पत्र

(रु. 100/- के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर में नोटराइज्ड)

1. मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ की मेरा या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य उज्जैन दुग्ध संघ में सेवारत नहीं है।
2. मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य या मेरे या मेरे परिवार के सदस्य का दुग्ध टैंकर भोपाल या इन्दौर या उज्जैन या ग्वालियर या जबलपुर या बुन्देलखण्ड (सागर) दुग्ध संघ की काली सूची में दर्ज नहीं है।
3. यह की श्री/श्रीमती ..... जिनके नाम से टैंकर क्रमांक ..... आर.टी.ओ. से पंजीकृत है, मेरे/मेरी रिश्ते में पति/पत्नी/आश्रित पुत्र/पुत्री है।
4. यह की निविदा में अंकित टैंकर भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/ग्वालियर/जबलपुर/बुन्देलखण्ड (सागर) दुग्ध संघ या अन्य किसी डेयरी संस्थान में वर्तमान में अनुबन्धित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम :.....  
पिता का नाम :.....  
पता : .....

### प्रमाणीकरण

मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त जानकारी पूर्णतः सत्य है, असत्य पाये जाने पर उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी मुझे मान्य रहेगी।

गवाह

1. हस्ताक्षर  
नाम :.....  
पता : .....

हस्ताक्षर

नाम :.....  
पिता का नाम :.....  
पता : .....

2. हस्ताक्षर  
नाम :.....  
पता : .....